

2021/984

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ जिला-जोधपुर

प्रशासन गांवों के संग अभियान- 2021 कैम्प-~~छापरा~~

क्रमांक- प्र.गां.के.सं.अ./2021/2513

दिनांक- 15/12/21

प्रेषित:- तहसीलदार भोपालगढ़
जिला जोधपुर

विषय:- DILRMP के तहत की गयी गलत तरमीम दुरुस्ती करने बाबत। (एलआर एक्ट की धारा 131,136 के तहत)

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम देवनगर पटवार हल्का खारिया खंगार
के खाता संख्या 139, 256 जिसके खसरा नं. 164, 164/2 रकबा 0.6475 हे.
0.5018 हे. किस्म खसरा गा की तरमीम दुरुस्ती के तहत प्राप्त प्रार्थी के आवेदन पत्र,
पटवारी खारिया खंगार भू अभिलेख निरीक्षक रजवान की जांच रिपोर्ट एवं
तहसीलदार भोपालगढ़ की स्पष्ट अनुशंसा के आधार एवं राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार संलग्न नजरी नक्शा
अनुसार खसरा नक्शा भूमि में तरमीम दुरुस्ती की स्वीकृति दी जाती है एवं तहसीलदार भोपालगढ़ को
आदेशित किया जाता है कि तरमीम दुरुस्ती अनुसार नक्शे में इन्द्राज करे।

नोट:- पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक जांच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा एवं तहसीलदार भोपालगढ़ की अनुशंसा रिपोर्ट इस निर्णय का भाग रहेगा।



क्रमांक- सम/2514

प्रतिलिपि:-

1. प्रार्थी श्री गन्याराम को सूचनार्थ।

हवाई सिंह
15/12/21
(हवाई सिंह यादव)
प्रभारी अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

दिनांक- 15/12/21

हवाई सिंह
15/12/21
(हवाई सिंह यादव)
प्रभारी अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

Received
Am. W.
O.K.
17/12/21

